[2018] 14 एस.सी.आर. 1138

दिलबाग राय

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य।

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 1509) 03 दिसंबर, 2018

[डॉ धनंजय वाई० चंद्रचूड़ और एम०आर० शाह, जेजे०।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 482 - के तहत एफआईआर/आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना - तथ्यों के आधार पर, धारा 406, 420, 467, 468, 471 और 506 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज एफ़आइआर से उत्पन्न कार्यवाही- उच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता आरोपी की ओर से कोई आपराधिक इरादा साबित करने में विफल रहा- औचित्य- निर्णय हुआ: कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का सहारा लेने में उच्च न्यायालय उचित नहीं - उच्च न्यायालय ने जांच के दौरान सामने आए महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया - यह शिकायतकर्ता का मामला था कि हालांकि आरोपी के पास संपत्ति का स्वामित्व नहीं था, लेकिन उसने संपत्ति का सौदा किया था और इसी आधार पर शिकायतकर्ता को मूल्यवान प्रतिभू देने के लिए प्रेरित किया गया था - इसके अलावा, इन आरोपों की सत्यता परीक्षण का विषय है - अतः उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाता है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारिता: 2018 की आपराधिक अपील संख्या 1509

2014 के सीआरएम-एम संख्या 35679 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 11.02.2016 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से डॉ. सुखदेव शर्मा, जे. बी. मुदगिल, डॉ. शिवानी, रामेश्वर प्रसाद गोयल अधिवक्तागण।

उत्तरदाताओं के लिए विश्व पाल सिंह, विजय कुमार, डॉ. मोनिका गुसाईं, मनप्रीत के. भल्ला, अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय

डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे. द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 11.02.2016 के एक निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने एफआईआर संख्या 210 दिनांकित 21.06.2014. अंतर्गत धारा 406, 420, 467, 468, 471 और 506 भारतीय दंड संहिता(दण्ड संहिता) पुलिस थाना शाहाबाद, जिला कुरुक्षेत्र के तहत दर्ज एफ़आइआर से उत्पन्न कार्यवाही को रद्द कर दिया ।

3. शिकायतकर्ता इन कार्यवाहियों में अपील में है। अपीलकर्ता का मामला यह है कि 1.12.2011 को, अभियुक्त, जिसे प्रतिवादी नंबर 2 के रूप में आरोपित किया गया है, ने लकी कॉलोनी, शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र के पीछे पट्टी जनबरान में स्थित 8 मरले की संपत्ति को बेचने के लिए एक समझौता किया। बताया गया है कि बेचने के लिए समझौते के निष्पादन के समय 10 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। शिकायत में कहा गया है कि हालांकि समझौते में कहा गया है कि संपत्ति का कब्जा सौंप दिया गया था, लेकिन वास्तव में, कब्जा हस्तांतरित नहीं किया गया था।

4. चूंकि आरोपी लेनदेन को पूरा करने के लिए आगे नहीं बढ़ा, इसलिए अपीलकर्ता ने 30.1.2014 को पुलिस अधीक्षक, जिला कुरुक्षेत्र के समक्ष शिकायत दर्ज करने और प्रतिवादी नंबर 2 और उसके पति गुरचरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक आवेदन दायर किया।

5. मामले को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, कुरुक्षेत्र को भेजा गया। जांच करने पर,आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने दिनांक 4-3-2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि विवाद सिविल प्रकृति का है।

6. इसके बाद अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता ("सीआरपीसी") की धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया और इलका/ड्यूटी मजिस्ट्रेट, कुरुक्षेत्र, के आदेश पर एफ.आई.आर. संख्या 210 दिनांक 21.06.2014 को पुलिस स्टेशन, शाहाबाद मारकंडा, जिला कुरुक्षेत्र में दर्ज की गई थी।

7. आरोपी ने उच्च न्यायालय के समक्ष 14 के सीआरएम-एम नंबर 35679 के रूप में एक आवेदन दायर किया, जिसमें इस आधार पर एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई कि विवाद नागरिक प्रकृति का था। जांच के दौरान, प्लॉट के मालिक का बयान 27.10.2014 को इस आशय का दर्ज किया गया था कि प्लॉट वास्तव में उसकी पत्नी सुशीला का है।

8. आखिरकार जांच के बाद, दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत अपराधों के लिए जांच अधिकारी द्वारा 20.11.2014 को सीआरपीसी की धारा 173 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

9. दिनांक 11.12.2014 को आरोप तय किए गए हैं। मुकदमा शुरू हुआ और अभियोजन पक्ष के पांच गवाहों के साक्ष्य अंकित किये गए।

10. उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.2.2016 के अपने आक्षेपित आदेश द्वारा एफ.आई.आर. से उत्पन्न कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि एफआईआर को पढ़ने पर, शिकायतकर्ता आरोपी की ओर से किसी भी आपराधिक इरादे को साबित करने में विफल रहा है ।

11. उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता की ओर से यह कहागया गया है कि उच्च न्यायालय ने इस स्तर पर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके स्पष्ट रूप से गलती की थी, खासकर जब उचित जांच के बाद, आरोप पत्र दायर किया गया है और आरोप तय किए गए हैं। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि एक आपराधिक इरादा इस तथ्य से उभरता है कि हालांकि संपत्ति

आरोपी के नाम पर नहीं थी, इसे बेचने की मांग की गई थी और लेनदेन के अनुसरण में, अपीलकर्ता को मूल्यवान प्रतिभू देने के लिए कहा गया।

12. 29.06.2016 को इन कार्यवाहियों में नोटिस जारी किया गया। कार्यालय आख्या इंगित करती है कि प्रतिवादी संख्या 2 पर नोटिस की तमिला पूरी हो गई है। तमिला के बावजूद, प्रतिवादी नंबर 2 की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

13. उच्च न्यायालय को पूरी तरह से इस आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए राजी किया गया था कि F.LR प्रदर्शित करता है कि विक्रेता ने बिक्री विलेख को निष्पादित करने से इनकार कर दिया था। इस आधार पर, उच्च न्यायालय ने माना कि धोखाधड़ी का कोई तत्व नहीं है और एफआईआर को पढ़ने पर, शिकायतकर्ता आरोपी की ओर से किसी भी आपराधिक इरादे को साबित करने में विफल रहा था।

14. इस निष्कर्ष पर पहुंचने में, जैसा कि पहले तथ्यों के कथन से प्रतीत होता है, उच्च न्यायालय ने जांच के दौरान सामने आए महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया है। शिकायतकर्ता का मामला, यह ध्यान दिया जाना चाहिए, यह है कि हालांकि आरोपी के पास संपत्ति का अधिकार नहीं था, लेकिन उसने संपत्ति का सौदा किया था और यह इसी आधार पर शिकायतकर्ता को मूल्यवान प्रतिभू देने के लिए प्रेरित किया गया था।

15. ये आरोप सही हैं या नहीं, यह परीक्षण का विषय है।

16. हमारे विचार में उच्च न्यायालय का कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं था।

17. इन कारणों से, अपील स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय के दिनांक 11.2.2016 के आदेश को निरस्त किया जाता है। हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि हमने आरोप के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है जो आपराधिक मुकदमे का विषय है।

18. तदनुसार, अपील का निस्तारण किया जाता है।

19. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, भी निस्तारित। अपील निस्तारित।

Digitally signed by Rakesh Tripathi
Date: 2023.10.30 12:16:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court